FORM No. III

पत्रावली आदेशिका

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी दूदू

दूदू

जिला-जयपुर

गोपाल बनाम ओमप्रकाश

वादपत्र धारा 183, 188 न. 60/2022 सन 2022

[illegible]	[illegible]
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित साक्ष्य वादी में वादी गोपाल एवं गेंदालाल के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. का पेश हुआ किया पर वादीगण के बयान कराये गये दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। वकील वादी और अब साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। साक्ष्य बंद की गई। वकील वादीगण की एक बहस को सुना गया। वकील वादी ने बहस में कथन किया कि वादपत्र में वर्णित आराजी का वादीगण खातेदार है। फतहपुरी पर्चा मौका दिनांक 5-5-2022 के अनुसार आराजी नम्बर 28 व 503/28 में 20x20 = 400 वर्गगज भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का अनाधिकृत कब्जा है तथा 17x7 = 119 वर्ग गज भूमि पर प्रतिवादी संख्या - 3 का अनाधिकृत कब्जा है जिसको हटवाया जाकर वादीगण को सिपुर्द करने की डिक्री का आदेश जारी किया जावे। बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का एवं संलग्न राजस्व रिकार्ड का व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन परीक्षण उपरान्त पाया गया कि वादपत्र में वर्णित आराजी नम्बर 28, व 503/28 किस्म आराजी 2 कुल रकबा 0.7800 हेक्टेयर भूमि वादीगण की खातेदारी की है जिस पर प्रतिवादीगण का अनाधिकृत कब्जा है। उसको हटाया जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा मूर्तिक घोषित संलग्न पत्रावली है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनवाया जाकर सुनाया। पत्रावली फैसल [illegible] नम्बर से कम है।	गोपाल गेंदालाल

01/08/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.10.16 15:45:18 IST
Reason: SelfAttested